



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2026**

विषय:- दिनांक 20 अगस्त से 04 सितम्बर, 2026 तक 13 दिवसीय पुरातत्व अभिरूचि पाठ्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 927/तृतीय-24 (03)/2026, दिनांक 13 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागीय कार्ययोजना के अन्तर्गत दिनांक 20 अगस्त से 04 सितम्बर, 2026 तक 13 दिवसीय पुरातत्व अभिरूचि पाठ्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त पाठ्यक्रम में देश के लब्ध प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञों के द्वारा पुरातत्व के विविध विधाओं पर प्रत्येक दिवस दो-दो व्याख्यान का आयोजन प्रस्तावित है। जिसमें न केवल प्रदेश के अपितु अन्य प्रदेशों विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शोध छात्र एवं इस विधा में रुचि रखने वाले किसी भी विधा एवं आयु के लोग प्रतिभाग करेंगे। उक्त पाठ्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों को पंजीकृत किया जायेगा। तत्क्रम में ₹0 2,65,500/- (रूपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र) का संशोधित प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

क्र०	संक्षिप्त कार्य विवरण	धनराशि
1	उद्घाटन एवं समापन दिवस हेतु स्टैण्डी, बैनर, बैकड्राप की डिजाइनिंग-प्रिण्टिंग पर व्यय	10,000.00
2	उद्घाटन एवं समापन दिवस हेतु निमंत्रण पत्र एवं 150 अदद प्रमाण-पत्र पर व्यय	5,000.00
3	150 अदद प्रतिभागियों के लिये पंजीकरण किट पर व्यय (फाइल कवर, डायरी, पेन, रंगीन ब्रोशर्स आदि)	15,000.00
4	स्टेज आदि का डेकोरेशन (दो दिवस)	6,000.00
5	अतिथियों के स्वागत हेतु प्लाण्टर्स / पुष्पगुच्छ / स्मृति चिन्ह आदि पर व्यय	12,000.00
6	वक्ताओं को गोमती होटल/ गेस्ट हाउस में ठहराने पर व्यय	30,000.00
7	आमंत्रित वक्ताओं के रेलमार्ग प्रथम श्रेणी/वायुयान यात्रा पर व्यय	45,000.00
8	आमंत्रित वक्ताओं को व्याख्यान हेतु मानदेय पर व्यय (वाह्य वार्ताकारों हेतु प्रति लेक्चर ₹0 2000/- एवं स्थानीय वार्ताकार हेतु प्रति लेक्चर ₹0 1000/-)	40,000.00
9	उद्घाटन व समापन समारोह हेतु जलपान पर व्यय	30,000.00
10	शेष 11 दिवस में 150 प्रतिभागियों हेतु जलपान आदि पर व्यय	42,000.00
11	आयोजन हेतु स्थानीय ट्रांसपोर्ट पर व्यय	10,000.00
12	आयोजन स्थल की साफ-सफाई एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000.00
	योग	2,65,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 20 अगस्त से 04 सितम्बर, 2026 तक 13 दिवसीय पुरातत्व अभिरूचि पाठ्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय **₹0 2.65 लाख (रूपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शर्तें/ प्रतिबन्ध -

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) निदेशक, पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (7) उक्त धनराशि निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,65,000.00 (रुपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 092, लेखा शीर्षक 2205- कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103-पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय-42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 201 /2026/ 2362(1) /चार-2026-2077692 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।